

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

संख्या- 688/2015/1652/69-1-2015-14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक: 23 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अर्बन लिवलीटुड मिशन) के अन्तर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-779/69-1-14-14(104)/2013 दिनांक 23 मई, 2014 द्वारा कार्यकारी समितियों का गठन करते हुए नगर निगम वाले शहरों में उप नगर अधिकारी अथवा उसके समकक्ष अधिकारी को एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत वाले शहरों के अधिशासी अधिकारी (ई0ओ0) अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफिसर (सी0पी0ओ0) नामित किये जाने तथा उनके सहायता हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (इडा) के परियोजना अधिकारी को नामित किया गया है।

2. स्थानीय नगरीय निकायों में उप नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, जिन्हें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यों हेतु सिटी प्रोजेक्ट आफिसर नामित किया गया है, के दिन-प्रतिदिन के अपने मूल कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मिशन के कार्यों की प्रगति प्रभावित हो रही है। अतः राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट में सिटी प्रोजेक्ट आफिसर के पद पर नामित उक्त अधिकारियों के स्थान पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (इडा) के परियोजना निदेशक को सिटी प्रोजेक्ट आफिसर नामित किया जाता है।


श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-688/2015/1652(1)/69-1-2015 तिथिनाम्।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

9. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, खाय एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. सचिव, नगर विकास विभाग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
20. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त जिला विद्यालय, निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
24. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।